RN/10-II R/1293/95 (59)

न्यायालय राजस्व मण्डल म० प्र० – ग्वालियर (म.प्र.)

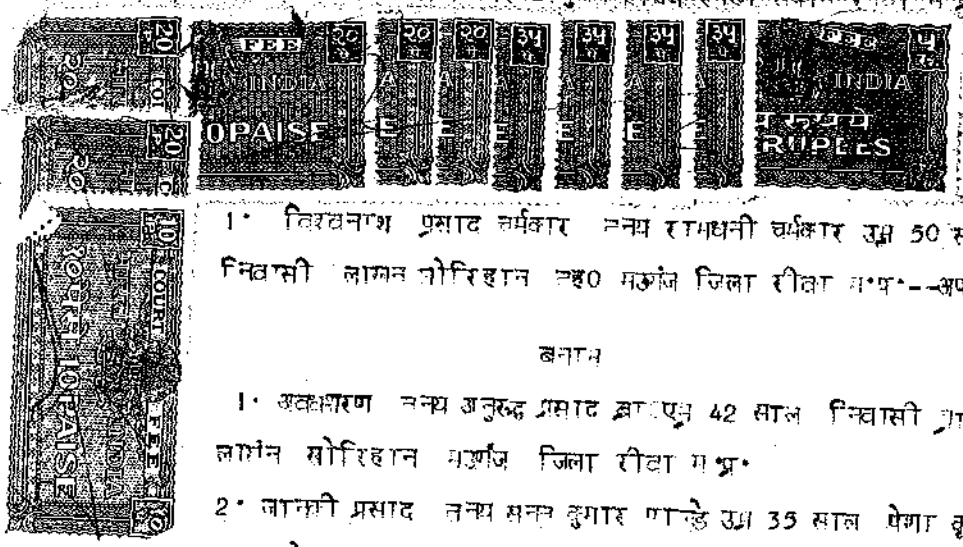

1. विश्वनाथ प्रसाद चर्मकार तनय रामधनी चर्मकार उम्र 50 साल निवासी ग्राम गोरिहान तह० मऊगंज जिला रीवा म०प्र० --अपीला०

बनाम

1. अवधशरण तनय अनुरुद्ध प्रसाद ब्राह्मण 42 साल निवासी ग्राम गावा ग्राम गोरिहान मऊगंज जिला रीवा म.प्र.
2. जानकी प्रसाद तनय मनन कुमार पाण्डे उम्र 35 साल पेशा कृषि,
3. रमेश कुमार तनय श्री नन्दकुमार उम्र 20 साल
4. शासन म०प्र. ------------- अना० गण

क्रमांक पी० डी० इस्पार 26.12.95 श्री अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 26.12.95 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर जिलाध्यक्ष रीवा के प्र०क्र० 4अ19/92-93 के आदेश दिनांक 25.11.95 के विरुद्ध

अन्तर्गत धारा 7 ~~म०प्र० भू० रा० सं०~~ भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करना read with Sec 50 MPLRC

निगरानीकर्ता, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है :-

1. यह कि भूमि खसरा नं० 146 का कुल रकबा 0.16 पर आवेदक निगरानी कर्ता सन 1980 के पूर्व से मकान बना कर आबाद था इसी निगरानी कर्ता ने न्यायालय अनु० अधिकारी तह० मऊगंज के न्यायालय में म०प्र० वास स्थान दखलकार भूमिस्वामी अधिकार का प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय अनु० अधिकारी महोदय विधिवत जांच पड़ताल एवं साक्ष्य के पश्चात निगरानी कर्ता को उपरोक्त अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पात्र पाते हुए भूमिस्वामी अधिकार प्रदान कर दिया जिस पर अनावेदक क्र० 1 ने अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दिया जिस पर न्यायालय अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा के प्रकरण में साक्ष्य का अवसर देने हेतु प्रकरण रिमाण्ड कर दिया जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

Advocate

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1293/1995 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–6–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 04/अ–19/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 25.11.95 के विरूद्ध इस न्यायालय में धारा 6 वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक विश्वनाथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दिया कि गढ़वा लखन खेरिहान की आराजी नम्बर 146 के रकवा 0.31 ए0 के जुज रकवा 0.16 ए0 में वर्ष 1964 से मकान बनाकर आबाद है और उसका निरस्तार है। वास स्थान दखलकार अधिनियम 1980 के तहत पट्टा दिया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन मांगा गया और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विवादित आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील अपर कलेक्टर जिला–रीवा के यहां प्रस्तुत हुई । अपर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा दिनांक 25.11.95 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिये गये कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुने तथा साक्ष्य आदि का पूरा अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें । इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।	

P. T.O

R 1293/95 दीवा

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सक्षम अधिकारी द्वारा उभयपक्ष के साक्ष्य लिये गये थे तथा उनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं जांच का अवलोकन किये बगैर ही प्रकरण रिमाण्ड किया है । उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जावे तथा अनुविभागीय अधिकारी का पारित आदेश स्थिर रखा जावे ।

4— मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिया गया है वह उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने योग्य होने से निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 25.11.95 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर विद्यमान है । अनुविभागीय अधिकारी, उभयपक्षों को सुनवाई का, साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये गुण—दोषों के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करें ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य